

नया घोषणापत्र
दि. 30/4/13

प्राप्ति दि. 14.5.13

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ

वाद संख्या: 0/2013

ज0वि0अधिनियम

नया घोषणापत्र
न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ
वाद सं. 1/12-13 धारा-194
सरकार गुरुबंशी सिंह
ज0 वि0 आकार-पत्र 57 ग्राम-खेडा गैर अहतमाल परगना-20
(नियम 172 देखिये) साक्षी-निवासी
मुजफ्फरनगर।

अन्तर्गत धारा-194

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियाँ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनोंक 15-05-2013 नियत की गयी है। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनोंक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनोंक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

खेडा गैर अहतमाल गाँव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनोंक को उपस्थित रहेगा।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गाँव- खेडा गैर अहतमाल
परगना- भुम्मा सम्मलहेडा तहसील- जानसठ जिला- मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
गुरुबंशी सिंह पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्मलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1-क	5म 9म 10 11 12 15/3 42/1 45	0.358है0 4.363है0 0.522है0 0.891है0 0.318है0 11.456है0 5.059है0 2.571है0	319.30	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस-पास के क्षेत्र में नहीं रहता है और न ही कभी देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनोंक 30.04.2013

प्रतिलिपि :-

- 1- तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनोंक से पूर्व प्रस्तुत करें।
- 2- अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनोंक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30.4.2013

श्रीमान जी

गाम चैडा गैर अहतमाला गैर आबाद होने के कारण गाम प्रधान
जमालपुर नीला/नमा गोंव जी चैडा गैर अहतमाला के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद
समिति के समुदाय निता नोटिस देकर ता. ० को सूचना दे दी है/वह सक्रियता
नोटिस छद्मरी स्कूल कोट पर प्रतिस्थापित कर दिया है
वह गाम रामराज में जानकर गुरव वशी सिंह S/o धारा सिंह सुरेंद्र कुमार
कोतलाश करीब पर गाम वासियों ने बताया कि इस गाम
बलदियत नमा नोटिस व्यक्ति रामराज में नहीं रहते हैं वह
हल नमा लेखपाल को नोटिस को ता. ० को सूचना दे दी है
॥ १०/३

छोमारी

सुरेंद्र कुमार

सुरेंद्र कुमार

श्रीमान सुमन जी



गो कमला सिंह

S/o

शंकर

गो

राजाराम S/o गोबिंद

श्रीमान सुमन जी
को रिपोर्ट सवा में प्रेषित है।

नायब माजिस्ट्रेट
जमशेदपुर (मुख्यालय)
11/10/19

नरुल अण्डपत्र सं 49/ सामान्य

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ

दिनांक 2/12-13

धारा-194

सरकार 1/2 जमानखिंदम - खेडा गैर अहतमाल

ज0 वि0 आकार-पत्र 57 त0 वि0 विचारधीन (नियम 172 देखिये)

नरुल घोषणापत्र दि० 30/13
न्यायालय 13-5-13

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)।

वाद संख्या: 02/2013

अन्तर्गत धारा-194

ज0 वि0 अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियाँ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनांक 15-05-2013 नियत की गयी है। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनांक को उपस्थित होना और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

खेडा गैर अहतमाल गाँव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनांक को उपस्थित रहेगा।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गाँव- खेडा गैर अहतमाल

परगना- मुम्मा सम्मलहेडा तहसील- जानसठ जिला- मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
ज्ञान सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना मुम्मा सम्मलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1-क	5म 9म 10 11 12 15/3 42/1 45	0.358है० 4.363है० 0.522है० 0.891है० 0.318है० 11.456है० 5.059है० 2.571है०	319.30	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस-पास के क्षेत्र में नहीं रहता है और न ही कभी देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)

उप जिलाधिकारी जानसठ

दिनांक 20.04.2013

प्रतिलिपि :-

1- तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरन्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करें।

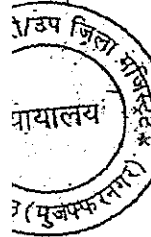
अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनांक पर साक्ष्यों उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सत्य प्रतिलिपि

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)

उप जिलाधिकारी जानसठ

20.04.2013



श्रीमान जी

गाम खेड़ा गैर अहतमाल गैर आबाद होने के कारण गाम

जलालपुर नीलामे जाकर जलालपुर नीला / नया गाँव / खेड़ा गैर अहतमाल

के अध्यक्ष श्रीम पञ्चमय्य समिति को सबूत किता नोटिस देकर साबुका

सूचना दे दी है। वह सबूत किता नोटिस जलालपुर नीला के स्कूल गेट पर जति-

थापित कर दिया है। खुरन्द कुमार

11/5/13

वह श्रीमान जी गाम रामराज में जाकर शानसिंह S/o अमरसिंह

को तलाश किया तो गाम वासीयो ने बताया कि इस नाम वाला दयत

का कोई व्यक्ति गाम रामराज नहीं रहता है वह हल्का लेखपाल की

नोटिस को ता० की सूचना दे दी है।

खुरन्द कुमार

नि० अ० १५
श्रीमान सुखनी देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत जलालपुर नीला
दि. ख. जाबलठ (मु. नगर)

खुरन्द कुमार

ग० क म ल सिंह

S/o

शंकर

ग० राजाराम S/o नवीन



श्रीमान जी
श्री सुर-कुलुषाक्षी
की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नायब नज़िर
जानमद (मु. नगर)
14/5/13

नकल प्रारूप सं० ५१२ सामा-५

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ मुजफ्फरनगर

बाइसे ३/१२-१३

धारा-१९२

सरकार % हरजीतसिंह आदि

ज० वि० आकार-पत्र ५७

ग्राम-खेडा गैर अहतमाल

(नियम १७२ देखिये)

पणना-२०००

नकल घोषणा पत्र

दिनांक ३०/४/१३

अप्रील १३ १९५१३

न्यायालय उप

जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)

विचारणीय

वाद संख्या: ०३/२०१३

ज० वि० अधिनियम

अन्तर्गत धारा-१९४

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल ने १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९४ के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियों प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनांक १५-०५-२०१३ नियत की गयी है। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनांक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

खेडा गैर अहतमाल गाँव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो इसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनांक को उपस्थित रहेगा।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गाँव- खेडा गैर अहतमाल
परगना- भुम्मा सम्मलहेडा तहसील- जानसठ जिला- मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
हरजीत सिंह पुत्र ठाकुर सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्मलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	१-क	४६म १३/१ १४ १५/२ ४६म	१४.७५१ है० १.७११ है० ४.१९९ है० ३.६८७ है० ८.५०२ है०	१८२.१५ २२३.५०	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस-पास के क्षेत्र में नहीं रहता है और न ही कभी देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनांक ३०.०४.२०१३

प्रतिलिपि :-

- १- तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामिली आख्या नियत दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करें।
- २- अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनांक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Copyed By: १०/१०/१३
Compared By: १०/१०/१३
Words: २०२५/१०/१३
Date of Application: १०/१०/१३
Date of Notice: १०/१०/१३

सत्य प्रतिलिपि

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
३०.४.२०१३

रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मैजिस्ट्रेट
जानसठ

श्री मान जी

जाम खेड़ा गैर अदतमाल गैर आबाद होने के कारण जाम
जलालपुर नीला में जाकर जलालपुर नीला / जमांग गोवं / खेड़ा गैर अदतमाल
के अध्यक्ष भूमि पुबन्धक समिति को एक किता नोटिस देकर ता. ०६ को
सूचना दे दी है। वह एक किता नोटिस जलालपुर नीला के स्कूल गेट पर प्रलम्बित
कर दिया है। सुरेन्द्र कुमार

वह श्रीमान जी ॥ ५॥ ३
जाम रामराज में जाकर हरजीत सिंह डा. ०६ कुरा सिंह को
तलाश करने पर ग्रामवासी ने बताया कि इस नाम बलीदेवत का कोई व्यक्ति
जाम रामराज में नहीं रहता है। वह हलका लेखपाल को नोटिस
को ता. ०६ को सूचना दे दी है। सुरेन्द्र कुमार

प्रधान
ग्राम पंचायत
वि. स. आर. स. (मु. नगर)



गो. राजा सिंह
= S/O
शंकर

गो. राजाराम
= S/O नौबट

अभिलेख को
श्री. सुरेन्द्र कुमार
का रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नाथन नौजिर
मानसट (मु. नगर)
15/5/13

नयालय उप जिलाधिकारी जानसठ मुजफ्फरनगर
 वा.सं. 4/12-13
 सरकार बनाम जसवन्त कौर
 ज0 वि0 आकार-पत्र 57
 (नियम 172 देखिये)
 ग्राम-खेडा गैर अहतमाल
 परगना-भुम्मा सम्मलहेडा तहसील-जानसठ (मुजफ्फरनगर)।
 अन्तर्गत धारा-194

120 31

नयालय उप जिलाधिकारी जानसठ
 वाद संख्या: 04/2013
 ज0वि0 अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियाँ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनांक 15-05-2013 नियत की गयी है। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनांक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

खेडा गैर अहतमाल गाँव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनांक को उपस्थित रहेगा।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गाँव- खेडा गैर अहतमाल
 परगना- भुम्मा सम्मलहेडा तहसील- जानसठ जिला- मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
जसवन्त कौर पुत्री हरी सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्मलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1-क	46म 13/1 14 15/2 46म	14.751 है0 1.711 है0 4.199 है0 3.687 है0 8.502 है0	182.15 223.50	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस-पास के क्षेत्र में नहीं रहता है और न ही कभी देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
 उप जिलाधिकारी जानसठ
 दिनांक: 30.04.2013

प्रतिलिपि :-

- 1- तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करें।
- 2- अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनांक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सत्य प्रतिलिपि

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
 उप जिलाधिकारी जानसठ
 30.4.2013

रखर
 उप जिलाधिकारी उप जिला मस्ट्रेट
 जानसठ

red By: *Ph...*
 pared By: *...*
 200.11.00.2.360
 of Registration: 11-4-14
 of Name: 12-4-14
 19-4-14

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30.4.2013

श्रीमान जी

ग्राम खेडा गैर अदतमाल गैर आबाद होने के कारण ग्राम जलालपुर
नीला में जाकर जलालपुर नीला / नमों गोंव / खेडा गैर अदतमाल के अध्यक्ष
श्रीमि उबन्धन समिति को एक मिला नोटिस देकर ताबका सूचना दे दी है वह
एक मिला नोटिस उद्दिष्टी स्कूल गेट पर प्रतिस्थापित कर दिये हैं।
वह श्रीमान जी ग्राम रामराज में जाकर लालासेह S/o धारासेह
को ललाश करने पर ग्राम नासीयों ने बताया कि इस नाम बलीकपत
का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज में नहीं रहता है। वह हलका लेखपाल को
नोटिस को ताबका सूचना दे दी।

उरडकुमार

नि० ३५०
श्रीमति सुमवीर देवी

मुख्य प्रस्ताव
11/5/13

प्रधान
ग्राम पंचायत जलालपुर नीला
वि. सं. जानसठ (मुजफ्फर)



गुं कमल सिंह

S/o
शंकर

गं राजाराम
S/o गौखदार

श्रीमान जी
श्री उरडकुमार वरिष्ठी
को रिपोर्ट भेजा है।

जायस नोडर
जानसठ (मु नगर)
15/5/13

नमाल प्रमाण सं ५९५ रनामा-५

चाफाला उपजिलाधिकारी जानसठ जिला-१९४८००

कादल ६/१२१३

घाग-१९४८००

सका वनाम गुरनाम सिंह

घाग-१९४८००

५५२

नमाल प्रमाण सं ५९५ ज० वि० आकार-पत्र ५७

सका वनाम गुरनाम सिंह घाग-१९४८००

सकल विषय सं ०१५११३ (नियम १७२ देखिये)

सका वनाम गुरनाम सिंह घाग-१९४८००

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर) ।

वाद संख्या: ०६/२०१३

अन्तर्गत धारा-१९४

ज० वि० अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल ने १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९४ के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियों प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनांक १५-०५-२०१३ नियत की गयी है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो ।

गाँव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनांक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

खेडा गैर अहतमाल गाँव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनांक को उपस्थित रहेगा ।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गाँव- खेडा गैर अहतमाल

परगना- मुम्मा सम्मलहेडा तहसील- जानसठ जिला- मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
	२	३	४	५	६
गुरनाम सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना मुम्मा सम्मलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	१-क	४६म १३/१ १४ १५/२ ४६म	१४.७५१ है० १.७११ है० ४.१९९ है० ३.६८७ है० ८.५०२ है०	१८२.१५ २२३.५०	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस-पास के क्षेत्र में नहीं रहता है और न ही कभी देखा गया है । उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है ।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)

उप जिलाधिकारी जानसठ

दिनांक: ३०.०४.२०१३

प्रतिलिपि :-

१- तहसीलदार, जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करें ।

२- अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनांक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

Typed By: Photo copy
Numbered By: 2007/100/5300
Date: 16.4.14
Date of presentation: 16.4.14
Date of hearing: 16.4.14
Date of disposal: 16.4.14

सत्य प्रतिलिपि

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)

उप जिलाधिकारी जानसठ

३०-४-२०१३

श्रीमान जी

ग्राम खैरा गैर अहममाल गैर आबाद होने के कारण ग्राम जलालपुर
नीला में जाकर जलालपुर नीला / जमाँ गाँव / खैरा गैर अहममाल के अध्यक्ष
श्रीम पुबन्धन समिति को एक निम्न नोटिस देकर तालुका सूचना दे दी है वह एक
नित नोटिस स्कूल गेट पर जोतन दुआपत कर दिया है
वह श्रीमान जी ग्राम रामराज में जाकर गुलाम सिंह 5/0 (सुन्दर कुमार
हरनाम को तलाश करके पर ग्रामवासीयो ने बताया कि इस 11/5/13
नाम व्यतिथत ना कोई व्यक्ति ग्राम रामराज में नहीं रहता है वह हल्का
लेखपाल को नोटिस को हाठ को सूचना दे दी है

सुन्दर कुमार

नि० ३५०
श्रीमति सुखवीरी देवी

जिला प्रचारालय की

11/5/13

प्रधान
ग्राम पंचायत जलालपुर नीला
वि. क. अहममाल (मुजफ्फरगढ़)

ग०

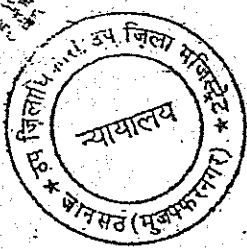
कमल सिंह

5/0

शंकर

ग०

राजा राम 5/0 गौनहर



श्रीमान जी
श्री १२-६६३ मजरा
की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नयन कर्मा
जानसरो (मु. नगर)
14/5/13

संकेत अणुसंख्या सं० ५९६ साक्ष्य

सामान्य उपजिलाधिकारी जानसठ मुजफ्फरनगर

वा ५६० ७/१२-१३ सं० १७५६-अ

संकेत अणुसंख्या सं० ५९६ साक्ष्य

SSS

नम्र घोषणा पत्र दि० ३०/४/१३

ज० वि० आकार-पत्र ५७

(नियम १७२ देखिये)

ग्राम-खेडा गैर अहतमाल परगना-२०६

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)।

वाद संख्या: ७७/२०१३

अन्तर्गत धारा-१९४

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गौव सभा खेडा गैर अहतमाल ने १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९४ के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियाँ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनोंक १५-०५-२०१३ नियत की गयी है। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनोंक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गौव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनोंक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

खेडा गैर अहतमाल गौव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सनी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनोंक को उपस्थित रहेगा।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गौव- खेडा गैर अहतमाल

परगना- भुम्मा सम्मलहेडा तहसील- जानसठ जिला- मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकड़ों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
सूरत सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्मलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	१-क	५म ९म १० ११ १२ १५/३ ४२/१ ४५	०.३५८है० ४.३६३है० ०.५२२है० ०.८९१है० ०.३१८है० ११.४५६है० ५.०५९है० २.५७१है०	३१९.३०	खातेदार के नाम के कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस-पास के क्षेत्र में नहीं रहता है और न ही कभी देखा गया है। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है। तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनोंक: ३०.०४.२०१३

प्रतिलिपि :-

- १- तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनोंक से पूर्ण प्रस्तुत करें।
- २- अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनोंक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सत्य प्रतिलिपि

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
३०.४.२०१३

By ...
...
...
...
...

श्रीमान जी

गाम खेडा और अहतमाल गौर आबाद होने के कारण गाम जेठालपुर नीला/ जेमा गाँव में जाकर खेडा और अहतमाल के ग्राम पुनर्व्यवस्था समिति के अध्यक्ष/प्रधान को स्वकीयता नोटिस देकर ताकी सूचना दे दी है वह स्वकीयता नोटिस जलालपुर नीला के स्कूल गेट पर प्रोत्साहित कर दिया है।
सुरेन्द्र कुमार

वह श्रीमान जी गाम रामराज में जाकर सुरत सिंह ॥ ३/३ अमरसिंह को तलाश करने पर गाम वासीयों ने बताया कि इस नाम बलीदेयत का कोई व्यक्ति गाम वह आस पास नहीं रहता है वह हल्का लेखपाल को नोटिस को ताकी सूचना दे दी है।
सुरेन्द्र कुमार

नि. ५००
श्रीमान सुखवीरी देवी
पक्षी
ग. अ. अहमद (मु. नगर)

ग. १३
ग. १३
क. मलसिंह

५/०
शंकर

ग. १३
राजाराम ५/० नौबटार



श्रीमान जी
श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल
की रिपोर्ट सेवा में प्राप्त है।

नायब मजिस्ट्रेट
जानसट (मु. नगर)

१५/५/१३